

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार, 20 नवम्बर, 2007/कार्तिक 29, 1929 (शक)

संख्या- 226

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, उपायुक्त पुलिस, बाहरी दिल्ली, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि शाहबाद-दौलतपुर विधान सभा क्षेत्र से दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री कुलवन्त राणा को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 506/34 के अंतर्गत एफ.आई.आर. नंबर 520/07 के मामले में दिनांक 15.11.2007 को पुलिस स्टेशन, रोहिणी, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

Delhi Legislative Assembly Secretariat
Bulletin Part-II
(General information relating to legislative and other matters)
Tuesday 20th November, 2007/ 29 Kartik 1929 (Saka)

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

No.226

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, Outer Delhi, Delhi.

"MLA Shri Kulwant Rana of Shahabad Daulatpur Constituency has been arrested in case FIR No.520/07 U/s 323, 341, 506/34 IPC PS Rohini on 15.11.07 and he was duly enlarged on bail same day. Since offences were bailable."

SIDDHARATH RAO
SECRETARY